adult literacy programme, on female literacy. He has mentioned six per cent, and that is the target by the end of the century. At present we are spending about 3.5 per cent of the GNP, which amounts to about Rs. 28,000 crores, between us and the States annually. This is going to be stepped up. If we reach the target of six per cent, it would come to Rs. 53,000 crores approximately. You were talking about Rs. 45,000 crores. So, it will be in that vicinity, provided the GNP grows at three per cent per annum. If it grows at five per cent per annum, it will go up from Rs. 28,000 crores to Rs. 84,000 crores. So there is going to be no dearth of finances. I would like to assure you. We have the full permission, the full thrust, of the Prime Minister, and the full support of the Finance Minister, and the Government of India is going to give education and, within the educational exercise, female education, the greatest emphasis and the greatest importance.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, while appreciating the US first lady's compassion for our illiterate women and girl-children, I would like to know from the Minister whether the Government has formulated any kind of policy or any framework within which this money, whenever it comes, is going to be used. I would also like to know whether the eastern States, less literate States where female literacy is very low—for example, my State of Bihar—will also get some share out of it.

KUMARI SELJA: As I said right at the beginning, this is just an offer and we have yet to hear from them specifically and we have yet to receive a specific proposal.

SHRIMATI KAMLA SINHA: We can't hear anything.

KUMARI SELJA: I am sorry. We have yet to receive a specific proposal from them regarding this aid which the first lady of the US has promised. So, as soon as we receive any specific proposal and hear from them, then, I suppose, we will have to work it out. But, as I said in the beginning, this will have to be in keeping with our national policies, our priorities and all that.

Provision for cow protection in the Directive principles

*364. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one of the directive principles of the Construction provides for cow pxrotection;

(b) if so, the names of Staes where cow slaughter has been banned and is being enforced and names of the States where it is not banned;

(c) the reasons for non-implementation of the directive principles;

(d) whether Government propose to bring this subject in the concurrent list of the Constitution and enact a comprehensive legislation to this effect; and

(e) if so, by when and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The directive principles of the Constitution of India provide for steps being taken for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. Most of the States have banned cow slaughter. The names of States where cow slaughter has been banned and those in which it has not been banned are given below. Government

have not taken any decision to bring the subject in the Concurrent List.

Sl. No.	States in which cow slaughter is banned	States in which cow slaughter is not banned
1	Andhra Pradesh	1. Arunachal Pradesh
2	Assam	2. Kerala
3	Bihar	3. Manipur
4	National Capital Territory of Delhi	4. Meghalaya
5	Goa	5. Mizoram
6	Gujarat	6. Nagaland
7	Haryana	7. Tripura
8	Himachal Pradesh	
9	Jammu & Kashmir	
10	Karnataka	
11	Madhya Pradesh	
12	Maharashtra	
13	Orissa	
14	Punjab	
15	Rajasthan	
16	Sikkim	
17	Tamil Nadu	
18	Uttar Pradesh	
19	West Bengal	

श्री कृष्णलाल शर्मा : : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा । यह उन्होंने स्वीकार किया है कि संविधान के निदेशक सिद्धांतों में गोवंश पर, गाय पर, बैल पर, एवं बछड़ो के वध पर रोक लगाने के निर्देश दिये गये हैं । इसके बावजूद जब कि करोड़ो लोगों की भावनाओं का प्रश्न भी है, इतने वर्ष बीत गये, गाय हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार है, गाय स्वास्थ्य का आधार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्णय दे दिया है कि इसके कारण किसी को मौलिक अधिकार नहीं है कि वह यह कहें कि गोवंश का वध हम करेंगे । इन सारी बातों के बावजूद क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक इसको समवर्ती सूची में ले कर केन्द्र में कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक वे यह समझते है कि गोवंश की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है और वह लागू हो सकता है ? इसका मैं उत्तर जानना चाहूंगा ।

श्री अरुन्विद नेताम : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं । इसलिए आप देखेंगे कि मूल प्रश्न के उत्तर में अधिकांश राज्यों ने इस दिशा में कार्यवाही की है । केवल कुछ ही राज्य रह गए हैं । मैं समझता हूं कि उन धारणाओं को ही ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे बाकी स्टेट्स भी अग्रसर होंगी । जैसा कि आपने कहा कि यह राज्य की सूची के अलावा केन्द्र की सूची में होना चाहिए, मैं समझता हूं कि भारत सरकार में इस पर काफी विचार हुआ है पर इस निर्णय पर पहुंचे है कि इसको केंद्र की सूची में रखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है । यह महसूस किया गया है ।

श्री कृष्णलाल शर्मा : : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की तरफ से इस जिम्मेवारी को टालने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूं । मैं फिर यह कह रहा हूं कि जब तक

केन्द्र में कानून नहीं होगा, गो हत्या बंद नहीं होगी।

लेकिन मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन सारे राज्यों में गोवंश पर प्रतिबंध लगाने के बाद जिन राज्यों में गोवंश पर प्रतिबंध नहीं है क्या गायें वहां जा रही हैं और क्या इन प्रदेशों से गायें वहां ले जाने पर कोई प्रतिबंध है ? क्या गाय या बछड़ों को वहां नहीं भेजा जा सकता ? नम्बर एक, और नम्बर दो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज हमारे देश में कितने ऐसे बूचड़खाने हैं जहां गायें कट रही हैं, और कितने ऐसे होटल्स हैं जहां बीफ सर्व हो रहा है, या क्या हम बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ? इसकी जानकारी हमें दें।

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा, यह अपनी जिम्मेदारी से हटने की बात नहीं है। अधिकांश राज्यों ने इस बात को माना है और कानून बनाया है। केवल कुछ ही राज्य रह गए हैं। धीरे-धीरे मैं समझता हूं कि बहुत से राज्य जो बच गए हैं उस दिशा में प्रयास करेंगे।

जहां तक गाय और बछड़ों का सवाल है, मैं समझता हूं कि जिन राज्यों में यह कानून नहीं है उन राज्यों में खासकर जो परिभाषा है, किन किन पशुओं, गाय आदि का वध नहीं होगा, उसके अनुसार वह नहीं होता है। केवल उनका ही होता है जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि उन गायों का वध होता है जो लायक हैं या दुधारू है ऐसी बात नहीं है।

जहां तक एक राज्य से दूसरे राज्य में **(व्यवधान)**

श्री कृष्णलाल शर्मा : डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह डिमारकेशन नहीं है।

श्री अरविन्द नेताम : नहीं, मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। यह आम तौर पर हर राज्य में गाय या ऐसा पशुधन है, जो लोग इस बात को महसूस करते हैं चाहे उस राज्य में कानून हो या न हो, फिर भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारा पशुधन है तो उसका वध नहीं करते। वध उन्हीं का करते हैं जो लायक नहीं रह गए हैं या परिभाषा में हैं। जहां तक एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध है .. **(व्यवधान)**.

श्री विष्णु कांत शास्त्री : यह नियमों का उल्लंघन है।

श्री अरविन्द नेताम : मेरी बात सुन लीजिए फिर उसके बाद कहें। एक राज्य से दूसरे राज्य का जो प्रतिबंध है मैं समझता हूं कि यह राज्य का विषय है इसमें केन्द्र सरकार का हाथ नहीं है।

श्री कृष्णलाल शर्मा : बीफ के बारे में नहीं बताया।

श्री बलराम जाखड़ : जो माननीय मंत्री जी ने बताया शर्मा जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूं। मैं स्वयं नहीं चाहता, न आप चाहते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि गो शुरू से लेकर आखिर तक, मरने के बाद भी सबके लिए लाभदायक है। इसलिए मेरे ख्याल में यह विधान है। लेकिन जो यह विधान के अनुसार आपने कहा, विधान के अनुसार ही हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर हाउस का अनुमोदन हो तो मैं एग्रीकल्चर को कान्करेंट लिस्ट में ले आने के लिए सूत्र करूं और आप मदद करिए। फिर हो सकता है।

श्री कृष्णलाल शर्मा : गो वंश पर इस कानून को लागू नहीं करते और पूरे एग्रीकल्चर को लाना पड़ेगा।

श्री बलराम जाखड़ : देखिए, इसमें लिखा है –

Under Article 246(3) of the Constitution, preservation of cattle is a matter on which the legislatures of the States have exclusive power of legislation.

इसके कारण हम कर नहीं सकते हैं।

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: What about serving beef in hotels and exporting beef?

श्री बलराम जाखड़ : उसको तो हम कर लेंगे। उसकी आप चिंता मत करें। मैं तो चाहूंगा कि किसी जीव का वध न किया जाए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स की धारा 48 का क्यों नहीं पालन करते ?

श्री बलराम जाखड़ : देखिए, करना पड़ेगा। उसको तो मानना पड़ेगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह तो डाइरेक्टिव प्रसिपल्स आपकी सरकार के लिए है, सारे देश के लिए है। आपके लिए भी है।

श्री बलराम जाखड़ : .. (व्यवधान) उल्लंघन कैसे करें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं उल्लंघन करने के लिए नहीं कहता हूं केवल 48 का पालन करिए।

MR. CHAIRMAN: Please. I would like to call somebody else. Dr. Biplab Dasgupta.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I do not wish to hurt the religious sentiments of anybody in the House or outside the House, but we should recognise that ours is a plural society. There are different religious groups and there are many people with different kinds of tastes and preferences, and that should be taken into account in whatever policy we adopt. The majority community might be having a certain view, but if there are areas and there are caste groups and tribal groups, who have certain types of preferences, the majority should not impose its opinion on the minority. (*Interruptions*)

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: That is a question of the Indian Constitution. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Dumping in mini steel sector

*365. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "Fears of dumping in mini steel sector" which appeared in the 'Hindustan Times' of 22nd March, 1995; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto indicating the urgent steps contemplated in mini steel sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) The reduction of import duties alone, may not be a proper basis to conclude that dumping would take place automatically. Irrespective of the level of tariff, dumping is said to exist when a particular product is exported to India at a price which is less than the price at which it is sold in the domestic market of the exporting country. If dumping occurs as per the above definition, then provisions exist in the Customs Tariff Act, 1975 and the rules made thereunder to investigate and levy an additional customs duty to counter such dumping if it causes material injury to the domestic industry. However, no complaint regarding dumping of steel has been filed so far by any